

D-1731 2026/4/08

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 127वीं बैठक दिनांक 19.04.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

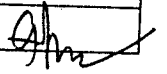
क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	जा.नं. रिपोर्ट
1	127.1	कार्यकारी समिति की 126 वी बैठक दिनांक 18.03.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियाविधि रिपोर्ट।	उपायुक्त जोन-5 द्वारा एजेण्डा आइटम 127.12 के माध्यम से अवगत कराया कि कार्यकारी समिति की 126वीं बैठक दिनांक 18.3.2008 में लिये गये निर्णय 126.2 में संशोधन से शेषफल 496.62 वर्गगज अंकित हुआ है, जबकि वास्तविक शेषफल 694.62 वर्गगज के लिये निर्णय लिया गया था अतः सर्वसम्मति से निर्णय 126.2 में शेषफल 496.62 वर्गगज के स्थान पर 694.62 वर्गगज पढ़े जाने का निर्णय लिया गया। अन्य समस्त निर्णयों की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।		
2	127.2	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1016 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1016 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
3	127.3	रोहिणी नगर-तृतीय में भूखण्ड संख्या 1208 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-तृतीय में भूखण्ड संख्या 1208 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
4	127.4	रोहिणी नगर-द्वितीय में विलम्ब से जमा नजराना के भूखण्डों के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-791, बी-229, बी-972 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
5	127.5	रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या 55 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रमल्यावाला डेयरी विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या 55 में नियमितिकरण हेतु प्रकरण राज्य सरकार को देशी से जमा का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमितिकरण किये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12	
6	127.6	प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के नकद भुगतान की कार्योत्ती स्वीकृति प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
7	127.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 2284 किता 1 रकबा 0.48 हैक्टर में से 418.00 व.मी. 100 फीट मास्टर प्लान में निःशुल्क छोड़ने के पश्चात शेष 4382 व.मी. का आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। (प्रहलाद अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 2284 रकबा 0.48 हैक्टर में से मास्टर प्लान की 100' रोट में आने वाली 418.00 व.मी. भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण करने के उपरान्त शेष 4382 व.मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
8	127.8	श्री सुनील सिंघल, अधिशाषी अभियंता (प्रतिनियुक्ति पर) जोनल अभियंता (पी.एच.ई.) की 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष अर्थात् पांचवें वर्ष के लिये दिनांक 01.03.08 से 28.02.2009 तक की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री सुनील सिंघल, अधिशाषी अभियंता (प्रतिनियुक्ति पर) जोनल अभियंता (पी.एच.ई.) की JNURM योजना के तहत चल रहे कार्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण कराये जाने हेतु इनकी सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुये 4 वर्ष पश्चात 1 वर्ष अर्थात् पांचवें वर्ष के लिये दिनांक 01.03.08 से 28.02.2009 तक की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
9	127.9	जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्दीधारियों को वर्दी धुलाई भत्ता 30/- रुपये प्रतिमाह के स्थान पर रुपये 100/- प्रतिमाह स्वीकृत करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत वर्दीधारियों को राजस्थान आवासन मण्डल की भांति वर्दी धुलाई भत्ता 30/- रुपये प्रति माह के स्थान पर रुपये 100/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
10	127.10	श्री गोपाल लाल शर्मा को दिनांक 28.2.90 से अर्द्धस्थायी किये जाने हेतु नर्कचाल में दिनांक 28.2.1990 से 31.12.98 तक एक मुंशी का पद सृजित बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नर्कचाल सेवा नियमों के अन्तर्गत 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर श्री गोपाल शर्मा को दिनांक 28.2.1990 से अर्द्धस्थायी किये जाने हेतु मुंशी का एक पद दिनांक 28.2.1990 से 31.12.98 तक की अवधि के लिये वेतन श्रृंखला 950-1680 में सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त अवधि पश्चात उक्त सृजित पद समाप्त हो जावेगा।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	

र.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
11	127.11	अजन्तापुर से मारिया बाया जेडीए फाम हाउस स्कीम सड़क को चौड़ाई एवं सुदृढीकरण का कार्य की निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति वायव्य।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जानने अभियन्ता-12ए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार निविदा की वैधता अवधि बढ़ाये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	जीनल अभियन्ता-12ए
12	127.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की जविप्रा से अनुमोदित व कैम्पशुदा न्यू सागानेर बाईपास योजना के 30 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड संख्या एसएम-46, 47, 48, 49 क्षेत्रफल 694.62 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने वायव्य।	दिनांक 18.3.2008 की 126वीं बैठक के कार्यवाही विवरण में संशाधन का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-5
13	127.13	निवारु आवासीय योजना खसरा नं. 3 की लालचन्दपुरा रोड से जोड़ने हेतु भूमि अवाप्ति के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निवारु आवासीय योजना खसरा नं. 3 को लालचन्दपुरा रोड से जोड़ने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
14	127.14	पीताम्बरा, राजभवन एवं कल्पना नगर आवासीय योजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-11 से जोड़ने हेतु भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पीताम्बरा, राजभवन एवं कल्पना नगर आवासीय योजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-11 से जोड़ने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
15	127.15	बस्सी-जगतपुरा लिंग रोड हेतु भूमि अवाप्ति के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से बस्सी-जगतपुरा लिंग रोड हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-10
16	127.16	सीकर रोड पर ग्राम भट्टो की गली, महेशपुरा एवं आकेडा चौड तहसील अमेर में जविप्रा द्वारा आनंद लोक फेज द्वितीय विस्तार आवासीय योजना एवं सड़क नेटवर्क हेतु कुल 49.45 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सीकर रोड पर ग्राम भट्टो की गली, महेशपुरा एवं आकेडा चौड तहसील अमेर में जविप्रा द्वारा आनंद लोक फेज द्वितीय विस्तार आवासीय योजना एवं सड़क नेटवर्क हेतु कुल 49.45 हेक्टेयर अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
17	127.17	सीकर रोड पर जविप्रा द्वारा सृजित की गई स्वप्न लोक आवासीय योजना को ग्राम जाहोता से रामपुरा डाबडी जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु भूमि अवाप्ति की स्वीकृति वायव्य।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से सीकर रोड पर जविप्रा द्वारा सृजित की गई स्वप्न लोक आवासीय योजना को ग्राम जाहोता से रामपुरा डाबडी जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि की कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12
18	127.18	Approval of tender for the work "Construction of BRT Corridor and Development of road Package : II-A Panipech to Laxmi Mandir junction on Tonk Road via Govt Hostel (8.5 Km)"	विचार विमर्श एवं मैसर्स नीरज सीमेन्ट सट्रक्चरल लिमिटेड के द्वारा दिये पत्र (जो की इस कार्य में विधि सम्मत निविदाता नहीं है) का अवलोकन कर सर्व सम्मति से जानने अभियन्ता (पी.आर.टी.एस. IInd) के प्रस्तावनुसार इस कार्य का नैगोशियेटेड प्रस्ताव (Negotiated offer) प्रथम न्यूनतम निविदाकार मैसर्स रामकी इन्फ्रा.ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में रु. 51,79,92,808.00 का अनुमोदित किया गया।	Zonal Engineer (BRTS-II)

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 127वीं बैठक दिनांक 19.04.08 को प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री डी. बी. गुप्ता, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री डी.बी. गुप्ता	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्री एस.सी. महागांवकर	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस.सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस. के. पंचोली	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री पी.सी. धमनिया	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री आर. जी. महावर	सहा. नगर नियोजक	रीको, जयपुर।	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री डी.पी. बसंत	अधिवासी अभियन्ता एवं टी.ए	पी.एच.ई.डी., सिटी सर्किल, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	एन.एम. पहाड़िया	ई.डी (ए)	आर.टी.डी.सी	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्री बी.के. दोसी	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री नरेश शर्मा	अति.आयुक्त (एलपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री महेंद्र सोनी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री इकबाल खान	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री नारसुदेव शर्मा	उपायुक्त जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री अरुण गर्ग	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री देवशराम सैनी	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री के.ए. त्रिवेदी	उपायुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एन. सी. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता-II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री रतन लाल जाजू	सर्किल अभियन्ता-III	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री राजकुमार शर्मा	सर्किल अभियन्ता-IV	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री बी. डी. शर्मा	सर्किल अभियन्ता-V	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री वेद प्रकाश शर्मा	जोनल अभियन्ता जोन-1212	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री अरुण जोशी	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण

1231

26/4/08

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महादेव	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम.) / अति.निर्दे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर